

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	20004.31	218100.11	238104.42	22584.19	369176.14	391760.33	21314.37	410153.87	431468.24	23528.23	321298.78	344827.01
वसूलियां	-9765.31	-104788.51	-114553.82	-11220.48	-181432.14	-192652.62	-10590.57	-203851.05	-214441.62	-11699.05	-62693.25	-74392.30
प्राप्तियां
निवल	10239.00	113311.60	123550.60	11363.71	187744.00	199107.71	10723.80	206302.82	217026.62	11829.18	258605.53	270434.71
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	130.70	...	130.70	163.23	...	163.23	163.23	...	163.23	180.13	4.20	184.33
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2.01 एनएचआई में निवेश	...	57055.27	57055.27	...	134015.00	134015.00	...	141605.62	141605.62	...	162207.00	162207.00
2.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	39410.00	39410.00	...	100100.00	100100.00	...	113600.00	113600.00	...	1400.00	1400.00
2.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-39404.70	-39404.70	...	-100100.00	-100100.00	...	-113600.00	-113600.00	...	-1400.00	-1400.00
2.04 स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) में अंतरण	...	12670.07	12670.07	...	13915.00	13915.00	...	18005.62	18005.62	...	20807.00	20807.00
2.05 पीबीएफएफ से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-12650.00	-12650.00	...	-13915.00	-13915.00	...	-18005.62	-18005.62	...	-20807.00	-20807.00
2.06 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में सुद्रीकरण को अंतरण	...	5000.00	5000.00	...	20000.00	20000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
2.07 राष्ट्रीय राजमार्ग सुद्रीकरण निधि में से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-5000.00	-5000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
निवल	...	57080.64	57080.64	...	134015.00	134015.00	...	141605.62	141605.62	...	162207.00	162207.00
सड़कें एवं पुल												
3. सड़क निर्माण कार्य												
3.01 सड़क संकंध के अंतर्गत कार्य	...	39926.21	39926.21	...	38303.00	38303.00	...	47238.86	47238.86	...	73113.08	73113.08
3.02 कार्यक्रम घटक	...	1222.68	1222.68	...	1133.00	1133.00	...	995.00	995.00	...	1200.00	1200.00
3.03 ईएपी घटक	...	3034.06	3034.06	...	3098.00	3098.00	...	2262.00	2262.00	...	2700.00	2700.00
3.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्यीय स्कीमें	6588.18	...	6588.18	8047.71	...	8047.71	7499.41	...	7499.41	8493.21	...	8493.21
3.05 सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	329.77	17.51	347.28	165.67	346.38	512.05	156.06	318.84	474.90	176.74	360.05	536.79

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.06 अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमें	...	294.13	294.13	...	250.00	250.00	...	350.00	350.00	...	400.00	400.00
3.07 विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित	41.43	...	41.43	79.00	...	79.00	78.98	...	78.98	79.10	...	79.10
3.08 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरआईएफ से वित्तपोषित	2799.50	...	2799.50	2580.10	...	2580.10	2580.12	...	2580.12	2600.00	...	2600.00
3.09 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी .)	...	8385.91	8385.91	...	10565.00	10565.00	...	10700.00	10700.00	...	10565.00	10565.00
3.10 जीबीएस से एनईआर को वित्तपोषण करने के लिए एसएआरडीपी	...	2090.00	2090.00	8026.20	8026.20
3.11 एनईआर के लिए एसएआरडीपी सीआरआईएफ से वित्तपोषित है	2805.00	2805.00
3.12 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	2866.63	39789.22	42655.85	10872.48	36818.52	47691.00	10314.57	51517.93	61832.50	11349.05	19891.25	31240.30
3.13 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरा किया गया	-2675.62	-38517.15	-41192.77	-10872.48	-36818.52	-47691.00	-10314.57	-51517.93	-61832.50	-11349.05	-19891.25	-31240.30
3.14 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	8430.00	8430.00	...	10565.00	10565.00	...	10700.00	10700.00	...	10565.00	10565.00
3.15 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	-8385.48	-8385.48	...	-10565.00	-10565.00	...	-10700.00	-10700.00	...	-10565.00	-10565.00
<i>निवल</i>	<i>9949.89</i>	<i>56287.09</i>	<i>66236.98</i>	<i>10872.48</i>	<i>53695.38</i>	<i>64567.86</i>	<i>10314.57</i>	<i>64669.70</i>	<i>74984.27</i>	<i>11349.05</i>	<i>96364.33</i>	<i>107713.38</i>
4. पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य												
4.01 चुंगी पुलों का रख-रखाव	...	20.05	20.05	...	5.62	5.62
4.02 पीबीएफएफ को अंतरण	5.62	5.62
4.03 पीबीएफएफ से पूरा किया गया	...	-20.05	-20.05	...	-5.62	-5.62
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>5.62</i>	<i>5.62</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सड़कें एवं पुल	9949.89	56287.09	66236.98	10872.48	53701.00	64573.48	10314.57	64669.70	74984.27	11349.05	96364.33	107713.38
सड़क परिवहन एवं सुरक्षा												
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं												
5.01 सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	147.53	...	147.53	328.00	28.00	356.00	246.00	27.50	273.50	300.00	30.00	330.00
5.02 सीआरआईएफ को अंतरण	158.41	5.00	163.41	328.00	28.00	356.00	246.00	27.50	273.50	300.00	30.00	330.00
5.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-147.53	...	-147.53	-328.00	-28.00	-356.00	-246.00	-27.50	-273.50	-300.00	-30.00	-330.00
<i>निवल</i>	<i>158.41</i>	<i>5.00</i>	<i>163.41</i>	<i>328.00</i>	<i>28.00</i>	<i>356.00</i>	<i>246.00</i>	<i>27.50</i>	<i>273.50</i>	<i>300.00</i>	<i>30.00</i>	<i>330.00</i>
6. महिला सुरक्षा पर योजना												
6.01 सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	27.92	...	27.92	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
6.02 निर्भया निधि से वित्तपोषित	-27.92	...	-27.92	-20.00	...	-20.00	-30.00	...	-30.00	-50.00	...	-50.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा	158.41	5.00	163.41	328.00	28.00	356.00	246.00	27.50	273.50	300.00	30.00	330.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. वास्तविक वसूलियां	...	-61.13	-61.13
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	10108.30	113311.60	123419.90	11200.48	187744.00	198944.48	10560.57	206302.82	216863.39	11649.05	258601.33	270250.38
कुल जोड़	10239.00	113311.60	123550.60	11363.71	187744.00	199107.71	10723.80	206302.82	217026.62	11829.18	258605.53	270434.71
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सड़क और पुल	3031.94	...	3031.94	2659.10	...	2659.10	2659.10	...	2659.10	2679.10	...	2679.10
2. सड़क परिवहन	158.41	...	158.41	328.00	...	328.00	246.00	...	246.00	300.00	...	300.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	130.70	...	130.70	163.23	...	163.23	163.23	...	163.23	180.13	...	180.13
4. सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	...	113306.60	113306.60	...	177151.00	177151.00	...	192770.32	192770.32	...	239980.13	239980.13
5. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.00	5.00	...	28.00	28.00	...	27.50	27.50	...	30.00	30.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.20	4.20
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3321.05	113311.60	116632.65	3150.33	177179.00	180329.33	3068.33	192797.82	195866.15	3159.23	240014.33	243173.56
अन्य												
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6588.18	...	6588.18	8047.71	...	8047.71	7499.41	...	7499.41	8493.21	...	8493.21
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	329.77	...	329.77	165.67	...	165.67	156.06	...	156.06	176.74	...	176.74
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	10565.00	10565.00	...	13505.00	13505.00	...	18591.20	18591.20
जोड़-अन्य	6917.95	...	6917.95	8213.38	10565.00	18778.38	7655.47	13505.00	21160.47	8669.95	18591.20	27261.15
कुल जोड़	10239.00	113311.60	123550.60	11363.71	187744.00	199107.71	10723.80	206302.82	217026.62	11829.18	258605.53	270434.71

	बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश									
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	57060.57	65150.00	122210.57	134015.00	0.01	134015.01	141605.62	798.00	142403.62
जोड़	57060.57	65150.00	122210.57	134015.00	0.01	134015.01	141605.62	798.00	142403.62

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** यह प्रावधान निष्पादन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्रदत्त भारतमाला परियोजना हेतु संगठन के मुख्य निर्माण कार्य के लिए है। इस व्यय को केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रीकरण निधि से पूरा किया जाता है।

3.01. **सड़क स्क्ंध के अंतर्गत कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाएं और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले हिस्सों के 6 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत राजमार्गों के 2 लेन बनाने के विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा एजेंसी कार्यों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित आदिवासी घटक के प्रावधान भी शामिल हैं, पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य है। प्रावधान में रोपवे का विकास भी शामिल है।

3.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान सड़क स्क्ंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त-पोषित हेतु किया गया है।

3.03. **ईएपी घटक:** इस प्रावधान में सड़क स्क्ंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं।

3.04. **केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्यीय स्कीमों:** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमों:** यह प्रावधान विभिन्न संघ-राज्य क्षेत्रों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जाती है।

3.06. **अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमों:** यह प्रावधान बेहतर सड़क अवसंरचना का संवर्धन करने के लिए अंतर-राज्यीय और आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार यह प्रावधान केंद्रीय सड़क निधि का एक भाग है।

3.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

3.08. **राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** यह प्रावधान मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय करने के लिए है। इन कार्यों का निष्पादन राज्यों के लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल द्वारा एजेंसी-आधार पर किया जाता है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप भी शामिल हैं।

3.09. **राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी.):** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राजधानी सड़क-संपर्कता, जिला-संपर्कता, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सड़क-संपर्कता, सड़कों का सुधार एवं सुदृढीकरण सहित

ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग तथा कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना एवं अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है। इसका वित्तपोषण राष्ट्रीय निवेश निधि से किया जाता है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्यतः परिवहन उद्योग के संबंध में अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण एवं अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की स्थापना करना, जिसमें पीड़ितों के प्राथमिक उपचार का प्रावधान तथा यातायात की बहाली हेतु अतिग्रस्त वाहन को स्थल पर से हटाने का प्रावधान शामिल है, राष्ट्रीय आंकड़ा-संचय नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, लोक परिवहन का सुदृढीकरण आदि के लिए है। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

6. **महिला सुरक्षा पर योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।